पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

रीत उर्फ सीमा कुमारी

बनाम

चंद्र भूषण कुमार

2022 की विविध अपील सं.287

11 अगस्त, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

क्या प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय का विवादित निर्णय कानून की दृष्टि में न्यायसंगत, उचित और टिकाऊ/मान्य है?

हेडनोट्स

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 - धारा 11 और 12(1)(सी) - विवाह की शून्यता - हिंदू रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह वैध रूप से संपन्न नहीं हुआ था - प्रतिवादी की सहमति बलपूर्वक ली गई।

निर्णय: इस बात पर कोई मुद्दा नहीं बनाया गया है कि पक्षकारों के बीच विवाह वैध रूप से संपन्न हुआ है या नहीं—कोई विशिष्ट मुद्दा नहीं बनाया गया है कि अधिनियम, 1955 के किन प्रावधानों के तहत विवाह, यदि कोई हो, रद्द या शून्य घोषित किए जाने योग्य है, न ही ऐसे मुद्दे पर कोई विशिष्ट निष्कर्ष निकाला गया है—परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानूनी रूप से सुसंगत और टिकाऊ नहीं है—धारा 11 के तहत विवाह को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है, लेकिन सहमति के बिना किया गया विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत विवाह को शून्य और शून्य घोषित करने का कोई आधार नहीं है—यदि याचिकाकर्ता की सहमति बलपूर्वक प्राप्त की गई है तो इसे अधिनियम, 1955 की धारा 12(1)(सी) के तहत रद्द

किया जा सकता है—परिवार न्यायालय द्वारा मूल याचिका का खराब प्रारूपण और कानूनी स्पष्टता का अभाव—आलोचनापूर्ण निर्णय को रद्द किया गया—अपील को निर्देशों के साथ निपटाया गया, मामले को नए सिरे से सुनवाई करने के लिए परिवार न्यायालय को वापस भेज दिया गया।

(पैराग्राफ 7 से 12)

न्याय दृष्टान्त

कुछ भी नहीं

अधिनियमों की सूची

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

मुख्य शब्दों की सूची

विवाह, शून्य और अमान्य, बल के तहत सहमति, शून्य और अमान्य।

प्रकरण से उत्पन्न

वैवाहिक वाद संख्या 407/2018 में वैशाली के हाजीपुर स्थित पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 20.06.2022 के निर्णय से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री निशांत कुमार

प्रतिवादी की ओर से: श्री अभय शंकर सिंह

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2022 की विविध अपील सं.287

==

रीत उर्फ सीमा कुमारी, पिता-राजेंद्र राय, निवासी-गांधी आश्रम (विभागीय दुकान के पीछे), हाजीपुर, थाना-हाजीपुर टाउन, जिला-वैशाली हैं।

... ...अपीलकर्ता/ओं

बनाम

चंद्र भूषण कुमार,पिता-स्वर्गीय गणेश राय, निवासी-मोहनपुर, थाना-बिदुपुर, जिला-वैशाली।

..............उत्तरदाता/ओं

==

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री निशांत कुमार
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री अभय शंकर सिंह

==

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय
(द्वारा : माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)

तारीखः 11-08-2023

वर्तमान अपील अपीलकर्ता द्वारा वैशाली, हाजीपुर स्थित परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा 2018 की वैवाहिक मामला सं. 407 में पारित दिनांक 20.06.2022 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अंतर्गत परिवार न्यायालय ने कहा है, *"याचिकाकर्ता इस तथ्य को साबित करने में सक्षम रहा है कि उसका विवाह बिना सहमति के हुआ था। विपक्षी, अर्थात् सीमा कुमारी के साथ उसका विवाह निरस्त और शून्य घोषित किया जाता है। वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।"*

2. यह उल्लेख करना भी उचित है कि याचिकाकर्ता द्वारा परिवार न्यायालय के समक्ष दायर याचिका हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत दायर की गई थी और याचिका में याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उत्तरदाता/अपीलार्थी के पिता और अन्य व्यक्तियों ने उसका अपहरण कर लिया था और उसे पीटा गया था जिसके परिणामस्वरूप वह बेहोश हो गया था और जब वह होश में आया, तो उसे उत्तरदाता/अपीलार्थी के माता-पिता द्वारा सूचित किया गया था कि उसका विवाह सीमा कुमारी से हो गया है, जो इसमें अपीलार्थी है।

3. याचिकाकर्ता ने हाजीपुर के विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अपहरण और जबरन विवाह कराने का आपराधिक मामला भी दर्ज कराया है। उन्होंने दावा किया है कि यह विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के तहत वैध नहीं है और उन्होंने निम्नलिखित प्रार्थना की है:

> " क) उपरोक्त परिस्थित में आवेदक और विपक्षी दे बीच दिनाँक 02.02.2018 के रोज जो शादी हुई, उसे (शून्य विवाह) भंग किया जाए तथा आवेदक के पक्ष में डिकरी दिया जाये।
>
> ख) उक्त मुक़दमे में जो खर्च होगा, ब्याज के साथ उसे विपक्षी से दिलाया जाये"

4. नोटिस मिलने पर, अपीलकर्ता/प्रतिवादी परिवार न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और मुकदमे का विरोध करते हुए अपना लिखित बयान दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने दलील दी कि याचिका गलत तथ्यों के आधार पर दायर की गई है और यह विचारणीय नहीं है। यह भी दावा किया गया है कि विवाह याचिकाकर्ता की सहमति से हिंदू रीति-रिवाजों और परम्पराओं के अनुसार संपन्न हुआ था।

5. पक्षों की दलीलों के आधार पर, निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए:

i) क्या वाद, जैसा कि तैयार किया गया है, विचारणीय है?

ii) क्या वादी के पास कार्रवाई का वैध कारण और वाद दायर करने का

अधिकार है?

iii) क्या 02.02.2018 को याचिकाकर्ता और विपक्षी के बीच हुआ विवाह, याचिकाकर्ता की सहमति के बिना और बलपूर्वक संपन्न हुआ था?

iv) क्या 2.02.2018 को याचिकाकर्ता और विपक्षी के बीच हुआ विवाह शून्य घोषित किए जाने योग्य है?

6. दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुना गया।

7. अपीलकर्ता/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि आक्षेपित फैसला कानून की नज़र में टिकने लायक नहीं है, जबकि प्रतिवादी/वादी के अधिवक्ता ने दलील दी कि आक्षेपित फैसले में कोई खामी नहीं है। हालाँकि, तलाक की याचिका, लिखित बयान, तैयार किए गए मुद्दों और परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन के बाद, यह पता चलता है कि परिवार न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/अपीलकर्ता का मामला यह है कि दावा किया गया विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार वैध रूप से संपन्न नहीं हुआ था, और इस प्रकार, प्रतिवादी/वादी और अपीलकर्ता/प्रतिवादी के बीच कानून की नज़र में कोई विवाह नहीं है। याचिकाकर्ता का वैकल्पिक मामला यह है कि विवाह, यदि कोई हो, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत रद्द किए जाने योग्य है, क्योंकि प्रतिवादी/वादी की सहमति बलपूर्वक लिए जाने के कारण अमान्य हो गई थी।

8. हालाँकि, पक्षों की दलीलों के अनुसार, कोई मुद्दा नहीं बनाया गया है कि दोनों पक्षों के बीच विवाह वैध रूप से संपन्न हुआ है या नहीं। ऐसा कोई विशिष्ट मुद्दा नहीं बनाया गया है जिसके तहत हिंदू विवाह अधिनियम, विवाह, यदि कोई हो, के प्रावधानों को रद्द या अमान्य घोषित किया जा सकता है, और न ही ऐसे मुद्दे पर कोई विशिष्ट निष्कर्ष निकाला गया है। यहां तक कि परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश भी कानूनी रूप से सुसंगत और टिकाऊ नहीं है। धारा 11 के तहत विवाह को अमान्य घोषित किया जा सकता है लेकिन सहमति के बिना विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए अधिनियम की धारा 11 के

तहत कोई आधार नहीं है। इसे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत रद्द किया जा सकता है, अगर याचिकाकर्ता की सहमति बलपूर्वक प्राप्त की गई है।

9. पूरा गड़बड़ न केवल परिवार न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की ओर से कानून की स्पष्टता की कमी के कारण पैदा किया गया है, बल्कि यह परिवार न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका के अत्यधिक खराब मसौदे के कारण भी बनाया गया है। याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता स्पष्ट नहीं है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के तहत दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में राहत पाने का हकदार है, और न ही प्रार्थना के हिस्से को ठीक से तैयार किया गया है। इस खराब मसौदे और परिवार न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की ओर से जानकारी की कमी ने मुकदमे में पूरी तरह से गड़बड़ी और अराजकता पैदा कर दी है।

10. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आक्षेपित निर्णय टिकाऊ नहीं है और इस न्यायालय के पास आक्षेपित फैसले को दरकिनार करने और मामले को नए सिरे से सुनवाई करने के लिए परिवार न्यायालय को भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

11. अतः, आक्षेपित निर्णय को दरकिनार किया जाता है और मामले को संबंधित परिवार न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु वापस भेजा जाता है ताकि इसे यथाशीघ्र, किसी भी स्थिति में, छह महीने से अधिक समय न लगे, समाप्त किया जा सके। यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जा सकती है क्योंकि मामले में पहले से ही देरी हो रही है और यदि और देरी होती है, तो मुकदमेबाजी का पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। यदि पक्षगण याचिका या लिखित बयान में संशोधन की प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें मुद्दे तय करने और सुनवाई शुरू करने से पहले मामले की प्रकृति में कोई बदलाव किए बिना अनुमति दी जानी चाहिए।

12. तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है। दोनों पक्षगण अपना खर्च खुद उठाएंगे।

13. महापंजीयक को इस निर्णय की एक प्रति परिवार न्यायालयों के सभी पीठासीन अधिकारियों के बीच प्रसारित करने का निर्देश दिया जाता है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

चंदन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।